संख्याः 72/2026/328पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/41/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ; दिनांकः 31मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि (राज्यांश) योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–1256/पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 18.12.2025, पत्र संख्या–118/पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 30.01.2026,पत्र संख्या–119/पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 30.01.2026, पत्र संख्या–120/पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 30.01.2026, पत्र संख्या–115पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 30.01.2026, पत्र संख्या–116पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 30.01.2026,117पूर्वा0वि0निधि-राज्यांश/2025-26 दिनांक 30.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत जनपद-आजमगढ़ में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की **रू. 959.39 लाख** (रूपये नौ करोड उनसठ लाख उनतालीस हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **482.00** लाख (रूपये चार करोड़ बयासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	विकास खण्ड तहबरपुर के ग्राम पचायत नैपुरा पिच रोड से सुरेन्द्र पासवान के घर होते हुए पश्चिम सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	748	39.56	20.00
2	विकास खण्ड रानी की सराय के ग्राम पंचायत सेठवल पन्दहां में नहर पुलिया के पूरब सी०सी० रोड से झिनकू यादव के घर तक सी०सी० रोड	300	19.9	10.00
3	विकास खण्ड रानी की सराय के ग्राम पंचायत बेहटा पिच रोड से लोरिक के घर होते हुए आगे तक सी०सी०रोड का कार्य	105	7.52	4.00
4	ग्राम पंचायत भुवना बुजुर्ग में भुवना ओझौली सम्पर्क मार्ग से भुवना कुटी तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	800	69.08	35.00
5	ग्रामसभा पटवध (सादीपट्टी) में यादव बस्ती से इजहार के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	310	19.61	10.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	ग्रामसभा जिगिना करमनपुर में शंकर यादव के घर से अम्बेडकर मुर्ति की तरफ इन्टरलाकिंग निर्माण कार्य	250	19.66	10.00
7	ग्रामसभा बछुआपार में नहर से विजय के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण कार्य	200	16.86	8.00
8	ग्राम पंचायत नेवादा में धनावा खास में सिवान पत्थर मुख्य सड़क से लालजी श्रीवास्तव के घर की तरफ सी०सी० रोड निर्माण कार्य	230	19.37	10.00
9	ब्लाक मेहनगर में ग्राम पंचायत करेहनुआ में पिच रोड से सिकन्दर के घर से काली माता मन्दिर तक सी०सी० रोड कार्य।	525	45.82	23.00
10	ब्लाक रानी सरांय ग्राम सभा चांदीटीकर मुख्य मार्ग से पटेल बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	1110	92.44	46.00
11	ब्लाक फूलपुर ग्राम सभा हड़वा में पिच रोड से गोट फार्म होते हुये विवेक सिंह के घर तक सी०सी० रोड कार्य।	570	47.67	24.00
12	ग्राम सभा दनियालपुर महरूपुर, विकास खण्ड अहरौला में पिच रोड से कन्हैया यादव के घर होते हुए आबादी के आगे की तरफ सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	785	98.03	49.00
13	ग्राम सभा देहुला सल्तनत (सरकार) विकास खण्ड अतरौलिया में श्री विणौरखनाथ तिवारी के घर से श्री लाल बिहारी यादव के घर होते हुए आबादी के आगे की तरफ पिच रोड़ का निर्माण	1450	64.78	32.00
14	विकास खण्ड सठियांव ग्राम सभा बमहौर (नीबी) में मेन सड़क से विश्वकर्मा बस्ती तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	200	20.45	10.00
15	विकास खण्ड सठियांव ग्राम सभा पैकौली (ओदरा झगरहुवा) में शिवकुमार मौर्या के घर से रामाश्रय मौर्या के घर तक इन्टरलाकिंग का कार्य	112	3.94	2.00
16	विकास खण्ड सठियांव ग्राम सभा गोछा में सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	150	11.94	6.00
17	विकास खण्ड जहानागंज में ग्राम सभा बीरमपुर सी०सी० रोड़ का निर्माण कार्य	200	16.52	8.00
18	ब्लाक पल्हना के अर्न्तगत ग्राम सैदपुर बाजनपुर में नहर के बगल से नगीना राजभर के खेत से रामबचन, सेचू के घर होते हुए प्राथमिक विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण	501	41.64	21.00
19	ब्लाक ठेकमा के अन्तर्गत ग्राम सभा रवनियां में श्री करिया यादव के घर से पारा पीच रोड तक पक्की सडक का कार्य	853	27.46	14.00
20	विकासखण्ड अजमतगढ़ के ग्रामसभा बासूपार में परमहंस यादव के ट्यूबेल से देवेन्द्र यादव के खेत होते हुए दलित बस्ती से फूलचन्द यादव के खेत तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	650	44.7	22.00
21	विकासखण्ड सठियांव में सईद नगर सम्पर्क मार्ग से रामजनम चौहान के मकान से ग्रामसभा गजहड़ा में उत्तर बस्ती मुख्य मार्ग से रामसमझ चौहान के मकांन तक सी०सी० रोड व नाली ढक्कन सहित निर्माण	350	35.19	18.00
22	ग्रामसभा लहुरावन में विकास खंड कोयलसा (अहिरौला) के शारदा सहाय नहर से ग्राम लहुरावन में लेपन का निर्माण कार्य।	990	49.56	25.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

23	विकास खंड तहबरपुर से ग्राम लखमनपुर पटटी बादल राय में रानीपुर किशुनदासपुर लोक निर्माण खंडजा (पिच) से पिच रोड का निर्माण	570	21.22	11.00
24	विकास खंड तहबरपुर कसानगंज कोईनहा किमी० 01 से ग्राम मनियारपुर में वीरेन्द्र मिश्रा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	520	51.94	26.00
25	विकास खंड महरागंज ग्रामसभा भितेहरा में जूनियर विद्यालय से जगदम्बा शुक्ला के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य।	380	31.53	16.00
26	विकास खंड तहबरपुर ग्रामसभा सोढरी में राम सिह भट्ठा के सामने से ब्राह्मण बस्ती तक सीसी रोड का निर्माण कार्य।	560	43	22.00
	योग:	**13419**	**959.39**	**482.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका के (1) क्रमांक-20 पर इंगित कार्य पर होने वाला व्यय रू. 22,00,000/-(रूपये बाईस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 के बजट लेखाशीर्षक- **4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछडे क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियो के लिये विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा तथा (2) शेष कार्यों पर होने वाले** व्यय रू. 4,60,00,000/- (रूपये चार करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण** कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 72/2026/328पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/41/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।
14- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आजमगढ़।
15- गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।